निर्णय बइजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प द्वारा श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कोर्ट कैम्प–लसानी

प्रकरण 26/2016 प्रा. पत्र

निर्णय दिनांक :– 20.06.2016

अनवान

1. श्री राजु सिंह पिता रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ
2. श्री टील सिंह उर्फ भगवतसिह पिता रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ
3. अम्बा देवी बेवा रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला–राजसमन्द

————प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अमरसिंह पिता मोहनसिंह रावणा राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री हिम्मत सिंह पिता गोविन्दसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ
3. श्री ओमसिंह पिता मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़

———विपक्षीगण

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 लेoरे0 एक्ट

पत्रावली आज दिनांक को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कैम्प लसानी में पेश हुई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :–

प्रार्थीगण की खातेदारी और कब्जे की कृषि भूमि मौजा लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ की सीमा में स्थित है जिसके खाता नं0 614 आराजी नं0 2105/1097 रकबा 3.00 बीघा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज हो कास्त वगेरह करते आ रहे है। किन्तु प्राथीगणो की उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की सीमा से मिलते हुऐ पडौसी है वह फसल बुवाई, कटाई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते हैं तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमेंबाजी के लिये विवश होना पड रहा है, मौके पर अशान्ति कायम रहती है। जिससे प्रार्थीगण उक्त भूमि पर शांति पूर्वक कास्त उपयोग, उपभोग नही कर पा रहे है। उक्त समस्या का स्थाई समाधान बाद नपती पत्थरगढी ही हो सकता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये तथा प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान में लोक अदालत कोर्ट कैम्प लसानी में रखा गया। कोर्ट कैम्प में प्रार्थी सं0 01 उपस्थित प्रार्थी सं0 02 व 3 अनुपस्थितएवं विपक्षीगणो को सूचना पत्र जारी किये गये जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवही की गई है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

हमनें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ की जमाबन्दी सं0 2068 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार है। खातेदार उनके खाते की भूमि की पत्थरढी करा सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ में स्थित हो खा0सं0 614, ख0नं0 2105/1097 रकबा [illegible] बीघा भूमि है जिसकी पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कोर्ट कैम्प लसानी में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ